2023/763

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ रा.

क्रमांकः–भू.अ./2023/26 (307/23)
प्रेषिति,

दिनांकः–06/06/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लेहरूलाल पिता गोमा जाट नि. पाल प.ह. पाल के राजस्व ग्राम पाल का खेड़ा में जमाबन्दी संवत 2079 की खाता संख्या 88 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम लेहरूलाल किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम लेहरूलाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन भी नही होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
बस्सी, जिला–चित्तौड़गढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांकः–रीडर/2023/83
निमित्त,

दिनांकः–07/06/2023

पटवार हल्का पाल

विषयः–सम्माजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री लेहरू लाल पिता गोमा जाट राजस्व ग्राम पाल का खेड़ा प.ह. पाल की खाता संख्या 88 में जाति/नाम लेरिया दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लेहरू लाल पिता गोमा जाट की जाति/नाम लेहरू लाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. पाल राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि.–तहसीलदार पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ